संख्या- 12 /2024/197/005-87-01099-96-2021

प्रेषक,

सुनील कुमार चैहान,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय विकास अभिकरण,

विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग लखनऊ दिनांक 07 मार्च, 2024

विषय वित्तीय वर्ष 2023-24 में पं0 दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय आपके पत्र संख्या-5625/पीनेडा-एसईपीवी-एसएसएल-बजट/2023-24, दिनांक 02 फरवरी, 2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्यपयक के अनुदान संख्या--70 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2810608000506-यूटिलिटी स्केल स्टोयरेज सौर परियोजनाओं हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्य् (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 12500.00 लाख में हो रही बचत में से लेखाशीर्षक-2810021010306-पं0 दीनदयाल उपाध्यानय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के क्रियान्वायन 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान मद में पुनर्विनियोग के माध्यवम से संक्रमित की गयी धनराशि रू0 129440440.00 (रूपये बारह करोड चैरानबे लाख चालीस हजार चार सौ चालीस मात्र) को स्वीमकृत कर व्य4य करने की निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियम व शर्ते ध् प्रतिबन्धों

1- यूपीनेडा द्वारा जिस मद में पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उक्त मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय की जायेगी।

2- जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्ताावित है उक्त मद में प्रस्तावित धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

3- प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। यूपीनेडा इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

4- पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने एवं उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु यूपीनेडा उत्तरदायी होंगे।

5- किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायी यूपीनेडा का होगा।

6- स्वीकृत धनराशि उपरोक्त योजना के अंतर्गत नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए व्यय की जायेगी।

7- उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष केवल उतनी ही धनराशि आहरित की जाये, जिसका उपभोग दिनांक 31-03-2024 तक उपयोग हो सके तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि के आहरणोंपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

8- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उपरोक्त योजना के अंतर्गत शासनादेश संख्या-901/45-वि0(अति0ऊ0स्रो0वि0)/2017, दिनांक 23-08-2017 एवं शासनादेश संख्या-1049/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2018, दिनांक 18-06-2018 में उल्लिखित प्रावधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय की जायेगी।

9- उक्त स्वीकृत धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी, जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। योजना पर किये जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा।

10- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के लिये पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य योजना में सम्मिलित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।

12- कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस संदर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षण को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

13- यूपीनेडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

14- द्वविरावृत्ति से बचने के लिए कार्य की वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

15- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

16- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभागध्अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई, 2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

17- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।

18- स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेशों एवं दिशा निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा संलग्न पुनर्विनियोग प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

19- यह आदेश वित्त विभाग के संख्या-RE-budget-1-539-E-10-162-x-2023-24, दिनांक 05 मार्च, 2024 में दी गयी सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 12,94,40,440 (रुपये बारह करोड़ चैरानवे लाख चालीस हजार चार सौ चालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 070 लेखा शीर्षक 2810021010306 पं. दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/स-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सुनील कुमार चैहान
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या 12 /2024/197/005-87-01099-96-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।

(3) कोषाधिकारी, लखनऊ।

(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

(6) निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।

(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार चैहान
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।